न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस

अपील संख्याः 15/20 निर्णय दिनांकः– 15.11.2022
(जीसीएमएस संख्या 2020/00053)

1. रामरख पुत्र श्री जीवणराम माता चुन्नी जाति मेघवाल निवासी मसूरी तहसील नोखा जिला बीकानेर
2. केसर पत्नी मोटाराम जाति मेघवाल निवासी साजनवाली तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज।
2. तुलसीराम
3. मघाराम
4. मांगीलाल
5. सहीराम

पुत्रगण केसराराम जाति जाट निवासी जसरासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 16–12–2011
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

उपस्थितः–

1. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के निर्णय व डिक्री दिनांक 16–12–2011 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीके से डिक्री पारित की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि लाधू पुत्र भैराराम जाति मेधवंशी के नाम से ग्राम जसरासर के खेत खसरा नम्बर 1432 तादादी 63 बीघा 12 बिस्वा भूमि खातेदारी धारित भूमि थी। लाधू पुत्र भैरा वर्ष 1974 में गांव छोड़ कर चले गये। वादी/अपीलांट् लाधू की बहिन स्व. चुन्नी का पुत्र है एवं केसर लाधू की बहिन है। वादीगण/अपीलांट् द्वारा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत संबंधित पटवारी से राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी के आधार पर वादग्रस्त भूमि अपने नाम करवाने हेतु धोषणात्मक वाद अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत करते हुए खातेदारी अधिकारों की धोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त वादपत्र पर अदालत मातहत के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर अपीलांट्/वादी द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में उल्लेखित कथनों का विरोध किया गया था, परन्तु अदालत मातहत द्वारा विधिक प्रावधानों की व्याख्या किये बिना ही अपीलांट्/वादी के अधिकारों पर कुठाराधात किया गया है।

उन्होनें आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र में न तो तनकीयात् कायम की गई ना ही साक्ष्य व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया ना ही प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर निस्तारण किया गया। मात्र यह अंकित करते हुए कि वादीगण वादगत् भूमि के पूर्व के खातेदार लाधूराम पुत्र भैराराम कौम मेधवंशी के नजदीकी वारिसान होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाये है, जबकि अदालत मातहत की उक्त व्याख्या दस्तावेजी साक्ष्य की मोहताज थी, जिसे प्रस्तुत करने का अदालत मातहत द्वारा कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश में उक्त व्याख्या हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई है, परन्तु आदेश जैर अपील में यह अंकित नहीं किया गया कि कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के शैडूयल प्रथम अथवा द्वितीय की श्रेणी में वादीगण/अपीलांट्स पात्र नहीं पाये जाते है, केवल मात्र यह अंकित कर देने से कि वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, अपीलांट्स के अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

वादकरण प्राप्त नहीं होने के कारण वादी द्वारा वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत किये जाने के फलस्वरूप खारिज किया गया है। जिसक कतई अधिकार अधिनस्थ न्यायालय को प्राप्त नहीं था।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चिरनिषेधाज्ञा का वाद दायर किया गया। जिस पर अदालत मातहत ने बिना रिकार्ड का अवलोकन किये बिना कब्जे काश्त की जॉच किये बिना पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान किये मात्र सरसरी तौर पर आदेश पारित करते हुए दावा खारिज किया गया है। प्रकरण में यह निर्विवाद है कि वादगत् भूमि अपीलांट्स के पूर्वजों की खातेदारी भूमि है, ऐसी स्थिति में किसी के कानूनी हक को मात्र सरसरी तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता है। यह कानून का प्रतिपादित सिद्वान्त है। अदालत मातहत ने उपरोक्त विधिक प्रावधानों पर कोई गौर किये बिना एक अवैद्य आदेश द्वारा अपीलांट्स का दावा खारिज कर दिया गया जिससे अपीलार्थी को अपने विधिक अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है।

उन्होनें आगे कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष जैरकार वादपत्र व आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार की कोई तनकीयात् कायम नहीं की गई है। जबकि वादपत्र व आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कथनों नियमानुसार तनकीयात् कायम करते हुए, कायम की गई तनकीयात् पर साक्ष्य व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए तनकीवार निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। जबकि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र पर न तो वादपत्र के आधार पर तनकीयात् कायम की गई ना ही आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर पर किसी प्रकार की कोई तनकीयात् कायम की गई है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा वादपत्र के आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए मात्र प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स को बेजा फायदा पहुॅचानें की नियत मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जिसकी कानून अनुमति प्रदान नहीं करता है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे व

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे कि पत्रावली में सीपीसी/वादपत्र के सभी प्रावधानों की पालना करते हुए व अपीलांट्स को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने मियांद के संबंध में कथन किया कि चूंकि अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर पारित किया गया है। ऐसे अवधिक आदेशों पर मियांद अधिनियम लागू नहीं होता है। अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ मियांद प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके विरोध में कोई काऊण्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अपीलांट्स की अपील मियांद शुमार धोषित की जावे।

4. रेस्पोडेन्ट्स व अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स को बार–बार आवाजें लगवाई जाने के उपरान्त भी वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–12–2011 के विरूद्व अपील दिनांक 06–03–2012 को प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में अपील प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अवधि अर्थात अपीलाधीन आदेश पारित होने के 60 दिवस के भीतर–भीतर अपील प्रस्तुत की जानी होती है, उक्त अवधि 14 फरवारी 2012 को समाप्त अर्थात दिनांक 14–02–2012 को होती है। अपीलांट् द्वारा उक्त अवधि व्यतीत होने के 22 दिवस के उपरान्त उक्त अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में अपीलाधीन आदेश व अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश उपलब्ध रिकार्ड तथा कानूनी प्रावधानों के विपरीत निर्णय हुआ हो तो ऐसे निर्णय का गुणावगुण के आधार पर परीक्षण होना चाहिए। कानूनी प्रावधानों के विपरीत तथा प्रभावित पक्षकार के साथ घोर अन्याय की स्थिति में विलम्ब का प्रश्न गौण हैं अतः अपीलांट्स की धारा 5 मियांद अधिनियम की दरखवाश्त स्वीकार की जाकर अपील पेश करने में हुए विलम्ब का शमन किया जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, प्रकरण में सर्वप्रथम तकनीकी पहलू का निर्धारण किया जाना उचित है कि अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष जैरकार वादपत्र पर वादपत्र के प्रावधानों की पालना की गई है अथवा नहीं? अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व उनके समक्ष जैरकार वादपत्र व प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों पर किसी प्रकार की कोई तनकीयात् कायम नहीं की गई नाही पक्षकारों को अपने कथन के समर्थन में शपथ पत्र अथवा दस्तावेजी साक्ष्य की प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किया गया है। इसप्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर वादप्रक्रिया को विधि सम्मत तरीके से नहीं अपनाया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, वादीगण अदालत मातहत के समक्ष यह कथन करते हुए आये है कि वादग्रस्त भूमि संवत् 2012 से ही लाधूराम के नाम दर्ज भूमि रही है तथा वे लाधूराम के भाई व भाणजा है जोकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत लाधूराम के जायज वारिसान होने से वादग्रस्त भूमि पर उनका हक व हिस्सा निहित है। अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष जैरकार वादपत्र के आधार पर यह तय होना था कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण को बतौर लाधूराम के वारिसान अधिकार प्राप्त होते है अथवा नहीं? वादगत् भूमि के बाबत् धारा 42 आरटीए का उल्लंधन हुआ है अथवा नहीं? यह सभी तथ्य वादपत्र पर साक्ष्य के मोहताज थे। अदालत मातहत द्वारा उपरोक्त तथ्यों पर बिना तनकीयात् कायम किये व बिना साक्ष्य व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों पर वादपत्र खारिज किया गया है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान उसी स्तर पर लागू होते है, जहॉ दावा पूर्णतया लॉ बाई बार्ड हो। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पर उभय पक्षों के अधिकारों की धोषणा राजस्व रिकार्ड व हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया जाना है। परीक्षण न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना की गई है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 16—12—2011 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे पक्षकारों को पुनः सुनवाई तथा शहादत पेश करने का अवसर प्रदान करते साक्ष्यों व रिकार्ड का परीक्षण करते हुए तथा अपीलांट्स की आपत्तियों को सुनने व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की पालना करते हुए नये सिरे से प्रकरण का निस्तारण करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 14-11-2022 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर